श्री भूपेन्द्र सिंह मान (पंजाब): अगर देंगे तो पूरा हो जाएगा।.. **(व्यवधान)**..

श्री नरेश यादव (बिहार): संकल्प की क्या आवश्यकता है। ..**(व्यवधान)**..

श्री रामदास अग्रवाल: महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करना चाहता हूं।

Resolution Re. Need to Check Population Growth

SHRI RAMDAS AGARWAL (RAJASTHAN): Sir, I move the following Resolution:

"Having regard to the fact that the population of our country is growing at an alarming rate with serious implications on the overall socioeconomic development, employment, housing, poverty alleviation and on the living standard of the people of India, this House resolves that:—

(i) the family welfare/planning programmes be strictly implemented;

(ii) the stringent rules be framed so that Government employees would be allowed to derive benefits in service, only if they agree to have two or three children;

(iii) suitable laws pertaining to family planning be enacted so as to restrain the candidates having more than three children from contesting elections of any type; and

(iv) sufficient funds should be allocated under the family welfare programmes during the Ninth Five Year Plan."

महोदय, यह संकल्प जो मैंने प्रस्तुत किया है, इसके पीछे राजनीति नहीं है। यह भी देश की उन भीषणतम समस्याओं में से एक है जिसके कारण आज हमारा 90 करोड़ की आबादी का देश एक पिछड़ा हुआ देश कहलाता है। कई बार हमको लज्जा का अनुभव होता है कि इतना विराट, विशाल और महान देश गरीब, पिछड़ा हुआ क्यों है?

उपसभाध्यक्ष [श्री वी० नारायणसामी पीठासीन हुए]

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देश में जो हजारों वर्षों से संस्कृति चली आ रही है उसमें ऐसा माना जाता है कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है और मनुष्य जब पैदा होता है तो परिवार के लोग, समाज के लोग खुशियां मनाते हैं और इसीलिए हमारी संस्कृति में मनुष्य जन्म को एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में माना जाता है। साधु-संतों ने, ऋषियों ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। तुलसी दास जी ने भी एक उक्ति कही है जो मैं दोहराना चाहता हूं। "साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो प्रभू।" मनुष्य को जो शरीर मिलता है वह भगवान की कृपा से मिलता है। ये हमारे यहां के संस्कार हैं लेकिन आज यदि व्यक्ति पैदा होता है तो हमें चिन्ता होती है, हमें लगता है कि एक बोझ और इस धरती पर पैदा हो गया है। हमें लगता है कि एक और खाने वाला पैदा हो गया, हमें लगता है कि वह हमारे लिए संकट का कारण बन गया है। यह परिस्थिति क्यों आई? हम टीवी पर देखते हैं, रोज दूरदर्शन के ऊपर हमारी सरकार दिखाती है कि जैसे ही पलक झपकते हैं एक बच्चा पैदा हो जाता है और मुझे लगता है कि आज जो ढाई घंटे इस संकल्प का है, इस ढाई घंटे के अन्दर उपसभाध्यक्ष महोदय इस देश के अन्दर करीब 30 हजार बच्चे पैदा हो जायेंगे।..(..**व्यवधान**..) मेरे बोलने से कम नहीं होगा? यह घड़ी तो चालू है, वह मीटर तो चालू है, उसको कोई नहीं रोकता। अब जिस देश के अन्दर 24 घंटे में 72 हजार बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसमें आप विकास के काम कैसे कर पायेंगे? यह देश तरक्की कैसे करेगा, क्या यह चिन्तन का विषय नहीं है? क्या पिछले 25 वर्षों से हम प्रयासरत नहीं थे कि हमारी जनसंख्या घटनी चाहिए।

हमको ऐसा लगता है कि जैसे-जैसे हम प्रयास करते हैं जनसंख्या घटाने का तो हमारी जनसंख्या बढ़ती रहती है। यह अजीब बात है जैसे कहा जाता है कि जैसे-जैसे दवा की मर्ज बढ़ता गया। हमारे देश में आज जनसंख्या की यह स्थिति हो रही है।

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त): मर्ज़ बढ़ता गया ज्यूं-ज्यूं दवा की।

†[شری سکندر بخت: مرض بڑھتا گیا جیوں جیوں دوا کی]

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

श्री रामदास अग्रवाल: मैं उर्दू का छात्र नहीं हूं इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन मेरी भावना यही है कि जैसे-जैसे हम इलाज करते हैं वैसे-वैसे मर्ज बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि जनसंख्या कम हो लेकिन वह कम नहीं होती। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार तो परपीच्युअल है, लोग आते-जाते रहते हैं, अब मैं सरकार में किसको जिम्मेदार ठहराऊं? हम नारा लगाते हैं कि हम दो, हमारे दो। लेकिन हम दो, हमारे दो के बाद कई लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में कि हम दो, हमारे नौ। कई तो नौ से भी ज्यादा बढ़कर तक चले गये हैं। यह किसी पर दोष नहीं है न यह स्वयं दोषी होगा। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि मेरे घर वाले इसके दोषी नहीं है। ये परिस्थितियां हमारे समाज की हैं। अब इन सारी परिस्थितियों में देश का विकास किस प्रकार हो पायेगा, यह चिन्तनीय प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं।

देश की जनसंख्या के नियंत्रण के लिए हमने बहुत साधन, सुविधाएं, योजनाएं रखी हैं, पैसे भी खर्च किये हैं लेकिन हमें वांछित परिणाम नहीं मिले हैं। इसी कारण हम जरा एक अंदाज करें कि इस देश के अन्दर आने वाले कुछ वर्षों के बाद क्या स्थिति बनने वाली है? सेन्सस कमीशन ने जो रिपोर्ट हमको दी है 1991 की, उसमें 1950 में हम 35.8 करोड़ थे। 1990 में हम 85.3 करोड़ हो गये लगभग पौने तीन गुना। सन् दो हजार तक हम एक सौ करोड़ तक पहुंच जायेंगे और दो हजार पच्चीस तक 144-145 करोड़ तक हो जायेंगे।

महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। चीन हमारी पड़ौसी देश है, वह भी जनसंख्या की बढ़ोत्तरी में हमसे कोई पीछे नहीं है। 1950 में उसकी जनसंख्या 55.5 करोड़ थी, 1990 में उन्होंने खूब जोर लगाया होगा पिछले वर्षों में तो उनकी जनसंख्या 113 करोड़ हो गई। महोदय, मैं इस अन्तर को यहां लाकर निवेदन करना चाहता हूं कि सन् दो हजार में उनकी संख्या केवल 129 करोड़ होगी। उन्होंने नियंत्रण किया है और दो हजार पच्चीस तक केवल 153 करोड़ होंगे और हम 145 करोड़ होंगे, यह अन्तर है। किसी न किसी व्यवस्था का फर्क है। व्यवस्था मजबूत बनेगी तो निश्चित रूप से हम भी ज्यादा अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन यदि व्यवस्था में हम राजनीति लायेंगे तो फिर जनसंख्या कम नहीं होगी। यह हो सकता है कि किसी एक वर्ग की संख्या कम हो जाये, लेकिन दूसरे वर्ग की संख्या बढ़ जाये, वे फेमिली प्लानिंग न करें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण अपने व्यक्तिगत अनुभव से उपस्थित करना चाहता हूं। मेरे कार चालक हैं। वे मुझे से छुट्टी मांगने के लिए आए। मैंने कहा भई, क्यों क्या बात हुई। बड़े सकुचाए। जब मैंने फिर पूछा तो कहने लगे कि मेरी पत्नी का बच्चा होने वाला है, इसलिए मुझे छुट्टी दे दीजिए। मैंने एक मैटेरनिटी हास्पिटल बना रखा था, मैंने कहा ठीक है वहां चले जाइए। लेकिन मेरे मन में थोड़ा बहम हुआ। मैंने उस से पूछा कि यह तुम्हारा कौन सा बच्चा है तो उसने मुझे कहा कि साहब मेरा यह तीसरी पत्नी से बारहवां बच्चा है। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उससे कहा ठीक है, हास्पिटल में जाओ और आपरेशन करा लो तो अच्छा होगा, हम तुम लोगों को इनाम भी देंगे। मना कर दिया। यह उसका अधिकार है वह जाने। मैं उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहता। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर कोई व्यवस्था अगर आप बनायेंगे तो क्या सब के लिए बनायेंगे या कुछ विशेष वर्गों के लिए बनायेंगे? क्या यह संभव है? अगर इस देश में विकास का लाभ मिलेगा तो सब को मिलेगा। अगर इस देश की तरक्की से किसी को रोटी, किसी को कपड़ा, किसी का मकान बनेगा, शिक्षा और औषधि मिलेगी, दवायें मिलेंगी तो वह सब को मिलेंगी। हमें बड़ा अफसोस होता है जब हम देखते हैं कि गांवों में और शहरों के अंदर लोग किस तरह से रह रहे हैं। क्या वे मानवीय परिस्थितियों में रह रहे हैं? क्या वे इस ढंग से रह रहे हैं जहां एक मानव को रहना चाहिए? क्या यह हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है? धरती पर जो हमारा पूत होगा क्या उसे बिलबलाते हुए सड़कों पर रहना चाहिए? क्या उसे बिना मकान के होना चाहिए, क्या उसे नंगा दीखना चाहिए, बिना छत के रहना चाहिए, बिना शिक्षा के रहना चाहिए? उपसभाध्यक्ष महोदय, यह किसी भी सरकार के लिए गौरव की बात नहीं हो सकती, किसी भी समाज के लिए गौरव की बात नहीं हो सकती, किसी राष्ट्र के ऊपर अगर कोई कलंक है तो यही है अगर उसके पैदा किए हुए बच्चे भीख मांगते हैं, नंगा रहते हैं, सड़कों पर पड़े रहते हैं। इससे देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचती है। यह देश के लिए कलंक की बात है। इसलिए हम सब इस बात पर विचार करें कि जनसंख्या नियंत्रण किए वगैर क्या हमारे पास इतने साधन उपलब्ध होंगे कि हम हर बच्चे को, जो इस धरती पर आएगा, उसका हम पालन-पोषण कर सकें, हम उसको शिक्षा दे सकें, हम उसको कपड़ा और रोटी दे सकें, हम उसको दवा दे सकें? महोदय, मुझे लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। बजट के बाद बजट और बजट के बाद बजट, हर वर्ष

बजटों में वायदे किए गए हैं गरीबों के कल्याण के लिए, उनको लाभ देने के लिए। लेकिन हम जहां थे वहां से भी गिरते गए। हम वहां से पतनावस्था में जा रहे हैं। एक बड़ी अजीब दुर्दशा हमारी बन गई है। हम एक ऐसे चक्कर में फंस गए हैं जिस में से निकलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। महोदय, ऐसी परिस्थिति में क्या यह देश के लोगों के लिए विचार करने का विषय नहीं है कि हम अपने देश के समग्र विकास को किस प्रकार से कर पायें। जनसंख्या-नियंत्रण उनमें से एक मुख्य मुद्दा है। इसलिए मैंने निवेदन के साथ सदन में इस बात को रखने का प्रयास किया है कि हम सदन के मार्फत एक ऐसी व्यवस्था पैदा करने की कोशिश करें जिससे देश का कल्याण को सके। इसको एक राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में देखा जाए और दलगत दृष्टि से इसको न देखा जाए। जो राष्ट्रीय हित के मसले हैं, समाज हित के मसले हैं उनके अंदर एक दृष्टिकोण से काम किया जाए। इसमें साम्प्रदायिकता का रंग न लाया जाए, इसके अंदर धर्म का रंग न लाया जाए। अगर हमें अपने देश में जनसंख्या पर नियंत्रण करना है तो इसमें किसी धर्म के ऊपर आघात का सवाल नहीं है, यह देश की आवश्यकता है, ऐसा समझा जाए।

सब धर्मों के लोग प्रत्येक देश में बसते हैं। चीन में भी हैं, रूस में भी है, इंडोनेशिया में भी हैं, बंगला देश मे भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। पाकिस्तान ने अपनी जन्म दर को कम दिया है। पहले 3.2 थी, अब उसने 2.9 कर दिया है। कैसे कर लिया? बंगलादेश ने कम किया है। बंगलादेश ने तो हो सकता है जो कम किया है, उसकी संख्या के बारे में संदेह है इसलिए मैं उसके आंकडे कोट नहीं करना चाहता हूं। उसने कम कैसे किया है, वहां से लाखों लोग हिन्दुस्तान में भेज दिये गये। हिन्दुस्तान की आबादी कुछ इस कारण भी बढ़ गई। लेकिन यह एक अलग विषय है। अब सवाल यह है कि भारत माता की धरती पर बोझ बढ़ता चला जा रहा है। हम ऐसा अनुभव करने लगे हैं कि अब हम विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे, चाहे हम कितने बजट पास कर लें, कितना कर्ज़ ले लें, कितने विदेशियों को आमंत्रित कर लें। विदेशियों को आमंत्रित करने से भी हमारे देश का समुचित विकास नहीं हो पाएगा। अगर विकास की दर को बढ़ाना है, विकास की परिस्थितियों को आगे चलाना है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन से कि एक ऐसा संकल्प सारे देश में जाना चाहिये जिसमें किसी प्रकार की संकुचितता का भाव नहीं हो और देश को यदि बचाना है तो जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। जनसंख्या पर यदि नियंत्रण करना है तो उसके लिए एक समान कानून बनाना पड़ेगा, उसमें किसी को मुक्त नहीं किया जाएगा। फिर कोई एक रखे, दो रखे या चार रखे। मैं इस संबंध में विचार नहीं रखना चाहता हूं। लेकिन बच्चे दो हों, बीवी भले ही कोई चार रखे। यह आवश्यक हो। यदि नियमों की मजबूती से लागू नहीं किया गया तो मुझे अफसोस रहेगा कि हम जो चाहते हैं उसे पूरा नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैंने अपनी इस भूमिका में निवेदन करने का प्रयास किया है कि नियंत्रण के लिए एक समयबद्ध संकल्प योजना जानी चाहिये और उसी से वांछित परिणाम प्राप्त होंगे अन्यथा हम केवल अंधेरे में लठ मारते रहेंगे, लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इतनी इस संबंध में मैंने प्रारम्भिक भूमिका के रूप में मैंने आपके सामने रखा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। लोग कहते हैं छोटा परिवार, सुखी परिवार। हमने भी बहुत प्रचार किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं हम सब से कि क्या छोटा परिवार सुखी परिवार है? मुझे तो लगता है कि जिनके 11 बच्चे हैं, वे ज्यादा सुखी हैं। राज्य के बड़े बड़े नेता हैं, मुख्य मंत्री है। मुझे लगता है जिनके 9 बच्चे हैं वह देश को प्रधानमंत्री बन सकते हैं। फिर छोटा परिवार सुखी कहां से हुआ? जिसके दो बच्चे हैं, वह दो बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा है। छोटे परिवार का नारा हमने दिया है लेकिन छोटा परिवार भी सुखी परिवार नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमने अपने साधनों का बंटवारा ठीक से नहीं किया। हमने जो व्यक्ति इस धरती पर आया है उसको विकास पुंज नहीं दिखाया, अंधकार भरी रात्रि दिखाई है। हम पैदा होने वाले व्यक्ति को लांछित करते हैं। वह पैदा होता है लेकिन पेट ले कर पैदा होता है, दो हाथ ले कर पैदा होता है। वह खाली पेट ले कर पैदा नहीं होता है। अगर उसके दो हाथों को काम मिलेगा, अगर उसके दोनों हाथों की क्षमता का उपयोग किया जाएगा तो वह देश का नव-निर्माण भी कर सकता है। लेकिन कहां से करेगा? असम्भव है। दो हाथों को काम नहीं है, बेरोज़गार है। हमारी इतनी सारी योजनाएं बनने के बाद भी हालत यह है कि हमारी जो जनसंख्या की बढ़ोत्तरी है वह तो 3.5 प्रतिशत है और रोज़गार उपलब्ध कराने की जो हमारी योजना है वह 2.4 प्रतिशत की है। सवा परसेंट का गैप प्रति वर्ष बढ़ता चला जा रहा है।

कहां से देंगे आप रोज़गार। कितनी योजनाएं बना लीजिए। हमारा ग्रोथ अगर 7 परसेंट से ज्यादा प्रतिवर्ष

होगा तो शायद हम 2005 तक लोगों को रोजगार दे सकेंगे। लेकिन हमारी ग्रोथ ही 4.9 परसेंट है। इतना बड़ा गैप है। वह कैसे मिटाएगें? हम केवल देश के लोगो को एक झूठा सपना तो दिखा सकते हैं कि हम तुम्हारे लिए यह करते हैं, हम तुम्हारे लिए वह कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए जब हम असफल होंगे तो उसका आरोप हम किसी पर मढ़ना चाहेंगे। हम उसका आरोप फिर किसी दल पर, किसी व्यक्ति पर, किसी समाज पर छोड़कर अलग हो जाऐंगे। वास्तविकता से आंख मूंदना गलत है। जो सच्चाई है उसके कबूल करना चाहिए। देश को भी सच्चाई की जानकारी देनी चाहिए तभी जाकर लोगों को यह लगेगा कि हां उन्होंने अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया तो उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, मकान नहीं मिल पाएगा, जमीन भी नहीं मिल पाएगी। मैं तो यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे उपलब्ध साधन है उनका भी बंटवार ठीक से नहीं होता है। हमारे देश में सारी जगहों को मिलाकर कुल सारे देश में 22.9 लाख एकड़ लैंड है। जो दी गयी है लेकिन बांटी नहीं गयी है। पिछले कई वर्षों से यह जमीन सरकार के पास में है लेकिन बांट नहीं रहे है। क्या तकलीफ है बांटने में? लैंडलेस को जमीन चाहिए और जमीन हमारे कब्जे में है लेकिन हम जमीन नहीं बांट सकते, हमारे अक्षमता है। हम काम नहीं दे सकते, यह हमारी कमजोरी है। हम धन का बंटवारा ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। यह हमारी व्यवस्था में गड़बड़ है, इसके ठीक करना चाहिए।

जो स्टेटिसटिक्स है महोदय, यह और भी बड़ी विचित्र लगती है। हमरे बजट में इस बात का प्रावधान किया गया है कि इक्नामिकली वीकर सकेशन्स के लिए मकान बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। बनने चाहिए क्योंकि आखिर वे लोग कहां जाकर अपना सिर छिपाएंगे। लेकिन जरा ध्यान से आप सुनिए। रूरल हाउसिंग फार वीकर सेक्शन— 1993-94 के लिए हमने 9 लाख 21 हजार मकान बनाने का फैसला किया था और 1994-95 में हमने उसको घटा दिया और केवल 9 लाख पर छोड़ दिया। जनसंख्या बढ़ गयी, हाउसिंग स्कीम कम हो गयी, बिना छत के रहने वालों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ गयी। जिनको छत और मकान नहीं है उनकी संख्या बढ़ गयी।

दूसरी बात, जो डवेलिंग यूनिट्स हैं उनको बनाने के बारे में सरकार ने और योजनाएं बनायीं। 1993-94 में 1 लाख 23 हजार, 1994-95 में 1 लाख 17 हजार और 1995-96 से 75 हजार। कौन सी गरीबी हम दूर कर रहे हैं। किसको हम झोंपड़ी दे पाएंगे? कौन पा सकेगा? 1993-94 में सवा लाख बनाना चाहते हैं झुग्गी वालोपं के लिए औ र 1995-96 में आप 75 हजार बनाना चाहते हैं। क्या इन 4 सालों में जनसंख्या घट गयी? फिर योजनाओं के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है।

मैं दसरा एक और उदाहरण आपको देना चाहूंगा। एल॰आई॰जी॰ हाउसिंग स्कीम, लो इन्कम ग्रुप हाउसेल ज— उसके लिए हमने 1993-94 में 60 हजार बनाने का तय किया, 1994-95 में 40 हजार कर दिया और 1995-96 में 36 हजार। कैसे देंगे हम लोगों को मकान? कौन सी जगह पर, कहां से लाएंगे पैसा? उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि कैसे होगी? यह बड़ी चिंता का विषय है, यह आलोचना का विषय है। आत्म-निरीक्षण का विषय है। आखिरी हम देश की जनता को बारबार बजट भाषणों में, संसद में, पब्लिक मीटिंग्स में, चुनाव में वादा करके आते हैं। कि हम आपको मकान दे देंगे, रोटी दे देंगे, झोंपड़ा दे देंगे, आपको शिक्षा के लिए स्कूल खोल देंगे, फलां कर देंगे, सड़कें बना देंगे, पानी के कुएं बना देंगे। कैसे हो पाएगा? मैं समझता हूं कि सदन के हमारे माननीय सांसद् यह सब जानते हैं। मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने यह बात प्रस्तुत की है। महोदय, एक सब से बड़ा गंभीर विषय और है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, हम लोग चुनाव के दौरान जब जाते हैं तो बड़े वायदे करते हैं कि सस्ताई हम देंगे, कमती मूल्य पर हम जीवन की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करायेंगे हम वायदा करते हैं। लेकिन महोदय, 1991 से लेकर अब तक पी॰डी॰एस॰ में 90 परसेंट दामों की बढ़ोत्तरी हो गई और केवल अगर गेहूं को लें तो उसके दाम 70 परसेंट बढ़ा दिए गए। अब 70 परसेंट दाम तो बढ़ गए 90 परसेंट पी॰डी॰एस॰ सिस्टम में सामान की कीमतें बढ़ गईं लेकिन क्या 1991 से लेकर 1995 के बीच में 90 परसेंट तनख्वाहें हमने सब की बढ़ाई हैं? क्या मजदूरी बढ़ी है, क्या जो गरीब किसान है उसको कुछ मिला है? उसकी मिनिमम वेज में कितनी वृद्धि की है? उसके जीवन-यापन के लिए, आवश्यक वस्तु खरीदने के लिए हमने उसको कितनी क्षमता दी है? यह अजीब स्थिति है। हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि उसको सन्तुष्टि होना चाहिए, हम अपेक्षा करते हैं कि वह हमारे साथ रहना चाहिए, हम अपेक्षा करते हैं कि वह प्रजातंत्र का पिल्लर बन कर रहना चाहिए। हम अपेक्षा करते हैं कि वह हमको वोट देना चाहिए, उसे शांत रहना चाहिए। यह देश की जनता है,

भारत की जनता है। इसके खून में शांति है। इसके संस्कार में सहिष्णुता है इसलिए इस देश में सब कुछ चल जाता है। यदि इस देश ने कभी करवट बदली तो फिर क्या होगा, इस पर जरा विचार करें? गरीब की आह और उसके द्वारा दिया हुआ अभिशाप इसके उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं। गरीब आदमी को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। उसको संरक्षण चाहिए और उसको संरक्षण तभी मिलेगा जबकि हम सही ढंग से, सही बात कह कर फिर उसको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करें। झूठे सपने दिखा कर हम लोगों को केवल छलावा करते हैं, धोखा देते हैं। देश की मजबूरी है। देश कैसे देगा? पांच लाख करोड़ रुपये का कर्जा लेकर भी आज 178 मिलियन लोग बेकार हैं। आठ पंचवर्षीय योजनाएं पूरी होने के बाद भी यह देश आज गरीब है, पिछड़ा हुआ है। आज भी इसकी मन्थली आमदनी **उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम पीठासीन हुए)** मैं महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस देश के अंदर गरीब आदमी की आमदनी 214/- रुपये मंथली रुरल एरिया में है। रोज़ की कितनी हुई? सात रुपया। सात रुपया रोज़ में इस देश के करोड़ो लोग अपना काम चला रहे हैं और 264 रुपया प्रति माह की आमदनी पर कैपिटा के हिसाब से इस देश के शहरी क्षेत्र के लोग करोड़ों की संख्या में अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। आठ रुपया रोज़, सात रुपया रोज़, क्या होता है? क्या हम सांसद् इस बात को नहीं जानते? क्या इस देश के राजनीतिज्ञ इस बात को नहीं जानते कि सात रुपये में अगर वह एक कप चाय, दो कप चाय पी लेगा तो चार रुपया खर्च हो जाएगा। खाना-पीना तो गया। शिक्षा भी गई। इसलिए महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश को आज इस स्थिति पर हमने पहुंचा दिया है कि देश के अंदर कुछ क्रांतिकारी परिवर्तनों की सृष्टि करनी होगी। कुछ बदलाव लाने के लिए ठोस और मजबूत निर्णय लेने होंगे। इसीलिए जनसंख्या के नियंत्रण के लिए मैं कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं। कल यहां सदन के अंदर दिल्ली की विधान सभा के बारे में कुछ चर्चा हो रही थी।

लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की विधान सभा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कल एक प्रस्ताव पास किया है जिस में उन्होंने यह कम्पलसरी किया है कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, उस के केवल दो बच्चे होंगे। उस के बाद अगर वह तीसरा बच्चा पैदा करता है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। महोदय, यह निर्णय उन्होंने किया है।

महोदय, मैं यहां राजस्थान के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, मैं राजस्थान से आया हूं, राजस्थान की सरकार पहली सरकार थी जिस ने इस देश के अंदर एक ऐसा कानून बनाया बड़ी हिम्मत और साहस के साथ, बिना किसी धर्म और संप्रदाय के, सारे विचारों को छोड़कर एक कानून बनाया कि जिसे पंचायत का चुनाव लड़ना है, जिसे नगरपालिका का चुनाव लड़ना है, जिसे विधान सभा का चुनाव लड़ना है, उस के अगर दो बच्चे "आॅलरेडी" हैं, यह प्रावधान किया है कानून में कि अगर उस के तीसरा बच्चा होगा तो वह डिस्कवालीफाय हो जाएगा। महोदय, यह राजस्थान की सरकार ने किया है। क्यों नहीं, केन्द्र भी इसी प्रकार का एक कानून बनाए, सब लोगों के लिए समान रूप से बनाए कि सरकारी नौकरियों के लिए, सरकारी प्रतिष्ठानों में काम करने के लिए, विधान सभा व लोक सभा चुनाव के लिए, पंचायत और नगरपालिका चुनाव के लिए, कोआॅपरेटिव सेक्टर के चुनाव के लिए और किसी भी प्रकार के चुनाव में भाग लेने के लिए फेमिली प्लानिंग व फेमिली वैलफेयर के नियम को पालन करना आवश्यक होगा। महोदय, हम शुरू तो करें। हम अगर अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते और दूसरों पर लागू करना चाहते हैं तो वह केवल कहने भर के लिए है, वास्तविकता नहीं है। हमें अपने ऊपर भी इस नियंत्रण को लागू करना होगा।

महोदय, अंत में मैं अपनी ओर से सुझाव देकर समाप्त करूंगा। आखिर इस जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो कि एक भयावह, विकट और भयानक समस्या बन गयी है और इस धरती पर आनेवाला "बोझ" लगने लगा है जिस से मुक्ति पाने के लिए हमें कुछ ठोस करना पड़ेगा। मैंने सुझाव दिया कि राजस्थान सरकार के पैटर्न पर ऐसा कानून संसद पास करे कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार की चुनाव व्यवस्था में शामिल होना चाहता है, उस के ऊपर यह नियंत्रण रहेगा। सरकारी कर्मचारियों पर भी यह नियंत्रण लागू होगा। महोदय, और देशों के लोगों ने यह नियंत्रण किया है। और देशों में इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है। मेरे मित्र नारायणसामी जी मेरे साथ नामीबिया गए थे। इन को याद होगा सम्मानीय राष्ट्रपति जी के साथ वहां हम सांसदों के साथ चर्चा कर रहे थे जिस में वहां के स्पीकर साहब मौजूद थे। जब हम बैठे तो उन्होंने हम एम॰ पीज॰ को एड्रेस करते हुए कहा कि आप जानते हैं हम एक एम॰ पी॰ कितने लोगों को रिप्रजेंट करते हैं? मैंने बड़ी क्युरोसिटी से पूछा कितनों को करते हैं? उन्होंने कहा 20 हजार। वहां कर एम॰ पी॰ 20 हजार लोगों का रिप्रजेंट करता है, तो मैंने उन से पूछा

कि आप जानते हैं कि मेरे देश का गरीब एम०पी० कितने लोगों को रिप्रेजेन्ट करता है, कम-से-कम 15 लाख या डेढ़ मिलियन। अब वह कहां तक न्याय करेगा? कोई एम० एल० ए० कहां तक न्याय करेगा? इसलिए महोदय, इसे नियंत्रित करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है। सामाजिक परिवर्तन में, सामाजिक भावना में और सामाजिक दायित्वों में परिवर्तन की आवश्यकता है। इस में किसी "कास्ट" और "क्रीड" या "रिलीजन" का सवाल नहीं होना चाहिए। यह समान रूप से सभी पर लागू होना चाहिए। इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के ऊपर यह दायित्व आना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण का काम इस देश के प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीय कर्त्तव्य है। इस राष्ट्रीय कर्त्तव्य की पूर्ति के लिए यदि हम ने ईमानदारी से प्रयास किया तो हो सकता है कि आज पैदा हुए बच्चों का भविष्य शायद हम ठीक न कर पाएं, लेकिन कल जो बच्चे पैदा होंगे उन का भविष्य हम निश्चित रूप से ठीक कर पाएंगे। ऐसा मेरा अनुरोध है और इसी अनुरोध के साथ में सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इस संकल्प पर समर्थन व्यक्त करें। धन्यवाद।

उपसभापति (श्री मोहम्मद सलीम): श्री वी० नारायणसामी।

श्री नरेश यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, हमें एक मीटिंग में जाना है। अगर हमारा पहले हो जाए तो मेहरबानी होगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): तीन नाम ऐसे हैं, जो सब पहले बोलना चाहते हैं और ये हैं नारायणसामी जी, डा० (श्रीमती) भारती राय जी और नरेश यादव जी।

*SHRI V. NARAYANASAMY (PONDICHERRY): Mr. Vice-Chairman, Sir, my good friend, hon'ble Member Shri Ramdas Agarwal has brought in a Private Member Resolution with regard to the fact that population explosion in the country has serious repercussions on the economy and the overall development of the country. He has drawn the attention of the Government towards the need to control population growth effectively. He has in his Resolution suggested strict implementation of family planning programmes, stringent rules to discourage Government employees from having more than two or three children, debarring candidates from contesting election if they have more than three children and allocation more funds for family welfare programmes during the Ninth Five Year Plan. He deserves to be thanked for bringing such a Resolution.

Sir, in the whole of Asia, India has the second larges population next only to China. Though China stands first, it has taken several drastic measures to control population. but in India, in the name of freedom, in the name of democracy we have shut our eyes to the alarming growth of population. Because of this, all the projects and schemes, well thought out and executed could not bring the desired results on the socio-economic front. This has resulted in more and more people going below the poverty line. Because of these reasons hon'ble Member Shri Ramdas Agarwal has brought in this Resolution. while moving the resolution, he also explained the all round repercussions due to population explosion.

Mr. Vice-Chairman, Sir, people below the poverty line in the rural areas constitute 39.1% In the urban areas it is 40.1%. Be it Indira Awas Yojna, Jawahar Rozgar Yojna, Integrated Rural Development Programme, Women Self Employment Programme or Minimum Needs Programme, —all these schemes could not help reduce the percentage of people below poverty line. that is the percentage of people below poverty line has gone up from 37.4% in 1991 to 39% today. This is not just because of some lacunae in executing the schemes but more because of the alarming increase in population.

With this kind of a problem in hand, the hon'ble Finance Minister has reduced the allocation for family welfare by Rs. 700 crores in the current year's Budget. In spite of increasing the allocation, he has reduced Rs. 700 crores from the allocation for the year 1995-96. Certainly this is not the right step to control population. We should remember that we

have lots of social commitments. we need to provide drinking water, electricity, dwelling units, roads, medical facilities and employment to the rural poor. Then alone they will be able to work hard, put in their best and come out of the trap called poverty line. Therefore, I appeal to the hon'ble Minister sitting here, to tell the Finance Minister to allocate more funds for family welfare. With this reduced allocation of funds, even the family planning programme connot bring the desired results.

Sir, different views have been expressed regarding compulsory family planning some time in the past. Several political parties even opposed such moves. But later, people volunteered for family planning. Educated people and those in employment thought it wise to go in for family planning and have a small and happy family. But people in rural areas, particularly those involved in agriculture and other small avocations are still apprehensive about family planning methods. Despite literacy programmes and health awareness schemes highlighted through guides, books, electronic media and the press, people in rural areas continue to have wrong impressions about family planning. This apart, they feel that by having more children they would be able to earn more. They think so because they live in utter misery. Having more children provides them a kind of psychological socio-economic security. Poor people like rickshaw pullers, labourers and those in small avocations live in illusions that more the number of children more the income. But unfortunately such large families turn out to be a great burden and they slowly sink in total misery. This is the situation today. I urge upon the Minister to take effective steps to educate these people in the rural areas as to how they invite poverty by bearing more children. The necessity for family planning should be explained to the uneducated people through various ways. Sir, this Resolution of Shri Ramdas Agarwal addresses two Ministries. Both the Social Welfare and the Rural Development Ministries have their roles to play in giving effect to this Resolution. The Ministry of Rural Development has a key role to play in this matter. The fact is that each year, hardly 1 to 1.5% people come out of the poverty line. What is the reason for this? I wish to cite an example. The centre allocated funds for rural development in Bihar and the funds were sent to the State Government. But the funds were diverted for some other purposes.

श्री नरेश यादव: आपको परिवार नियोजन पर बोलना है तो इसमें बिहार कहां से आ गया। कम से कम देश को यह तो बताइए कि परिवार कल्याण के लिए आपका क्या सुझाव है। बिहार के चक्कर में क्यों चले गए बिहार को क्या देखना है। ....(व्यवधान)

श्री वी॰ नारायणसामी: वाईस चेयरमेन सुन रहे हैं, उनको मालूम है, हम सब्जेक्ट पर बोल रहे हैं या नहीं।

श्री सतीश अग्रवाल (राजस्थान): नरेश जी, यह बतलावें कि लालू जी के कितने बच्चे हैं? इसमें डिस्पुट हो गया है। कोई 9 कह रहा है, कोई 10 कह रहा है, कोई 11 कह रहा है।

श्री नरेश यादव: न मैं आपके बचचों के बारे में जानता हूं और न लालू जी के बच्चों के बारे में जानता हूं। आप अगर हमको बतलादें कि आपके कितने बच्चे हैं, तो मैं कहूंगा कि यह भी ज्यादा है।

श्री सतीश अग्रवाल: तीन हैं अब तो रेट्रोस्पैक्टली कुछ हो नहीं सकता।

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Vice- Chairman, Sir, I am referring to Bihar because, the funds that were meant for rural development, for providing employment opportunities to the people below poverty line, were used for other purposes. This is the reason for the failure of rural development programmes and in Bihar, 54.3% people live below the poverty line. I am quoting these figures from the statistical data provided by the Revenue Department. Sir, the centre had provided funds for Andhra Pradesh for poverty alleviation. But the Government of Andra Pradesh directed these funds for paying the salary of Gov-

ernment employees. This has been referred to in the Report of our Parliamentary Committee. If the states divert about 75% of the funds provided by the centre for poverty alleviation and rural development towards some other purposes, how can you bring up our people who are below the poverty line?

Now we have a coalition Government of 13 parties at the centre. I know the compulsions of this Government. In accordance with the wishes of the states, the centre had decided that the funds for rural development will go only through the respective state Governments. We have had bad experience in the past wherein such funds were diverted for other purposes. He opposed giving such free hands to states due to this reason. Now, the hon'ble Finance Minister has said that the funds for rural development will be provided to the state Governments for Implementation of poverty alleviation and rural development programmes. I want to ask the hon'ble rural development Minister, whether you have any mechanism to monitor the implementation of such schemes by the states? What would you do if a state Government diverts these funds for some other use? In Andhra Pradesh, there is no money to pay salary to its employees. And if such funds are misused for paying salary, what shall happen? I want the hon'ble Minister to tell whether he is setting up any monitoring committee? And what action will be taken against the states that divert funds? I am hopeful the Minister will answer to these points.

Time has come wherein we have to come to terms with reality. We launch various schemes for poverty alleviation and employment generation. But as Mr. Agarwal had pointed out, there is a gap of 2% between the employment generation and population growth. This has compounded our problems. Each year the number of unemployed youth is increasing. I would like to know how you are going to tackle this problem? When we are in power, we had introduced various schemes like JRY, IRDP Minimum Needs Programme and Women emacipation scheme. Now you are also going on with those schemes. But I wounder whether you will be able to convince the states to successfully implement these schemes. That is why we thought of Nagar Palika system. Unless you create these Nagar Palikas you won't be able to implement those schemes successfully. That is the reason we had resolved to have Panchayati Raj. Then alone the funds would reach the poor, the needy.

Sir, I shall make just two more points and conclude.

I have a word about land holdings. We have passed legislations called Land Ceiling Act and Urban Land Ceilling Act. However, these Acts have been seriously implemented in West Bengal and Kerala. They have done a laudable job and I am very happy about it. But what about Andhra pradesh? I am not referring to any political party. And what about Karnataka and even Tamilnadu. Hon'ble Minister is here and his party is in power Government in Tamilnadu. What is happening in Bihar? the feudal overlords have expolited the innocent people, taken away their lands and made them live in utter misery. That is why the population living below poverty line is swelling day by day.

Sir, we have over 9 lakh acres of surplus land lying unused in the country. These lands should be distributed among the weaker sections, particularly the scheduled caste people and the tribals who are below poverty line. By doing so, you would be able to slowly reduce the percentage of people below poverty line. I know the hurdles and difficulties created by the bureacuracy, the middlemen and banks in carrying out any scheme. We had introduced schemes for providing self employment to women and the youth. But the banks which were supposed to provide funds to women to start

small avocations behaved differently. The attitude of the banks must change. You should take necessary steps to see that banks have a human face in tune with the policy of the centre.

Mr. Vice-Chairman, Sir, this Government claims to be the Government for the rural people and they also say that the hon'ble Prime Minister hails from a village. I am happy about all this. But I would like to ask you one thing. How much you have allocated for agriculture this year? (Time bell)

Sir, I am going to conclude in two minutes.

The Budget presented by you shows that for agriculture you have allocated only 75% of the allocation made in 1995-96. You have allocated Rs. 1000 crores for water resources development. I welcome that the hon'ble Finance Minister has admitted that food production has gone down by 2%. If that be so, you should have allocated more funds for agriculture sector. The Prime Minister and other Union Minister talks of improving the living condition of the rural poor. But your Finance Minister is allocating less funds for agriculture. Why this dichotomy? How can you go ahead with the Five Year Plan and even family planning programme this way?

Sir, during Congress Government, we had brought in a Bill to prevent those having more than two children from contesting elections. But several hon'ble Members opposed it in this very House. May be they had three four children. Now that Shri Ramdas Agarwal has brought in this Resoultion for discussion, the Government should accept the sprit of the Resolution. The Social Welfare Minister and also the Rural Development Minister should see that sufficiant fund is allocated for social welfare, family planning and rural development. This Government has been trumpeting that it is the Government of rural India. Therefore it is incumbent on this Government to allocate more funds towards family welfare and to educate the rural people about the need for family planning. The Government should also allocated sufficient funds for alleviating poverty particularly in the rural areas. Then alone the unfortunate situation of just 2% people enjoying all luxuries of life will change. With these words I conclude.

श्री नरेश यादव: उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री रामदास अग्रवाल जी द्वारा लाए गए संकल्प पर मैं कुछ बोलना चाहता हूं और उससे पहले मैं अपने वरिष्ठ साथी श्री नारायणसामी जी को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। तमिल भाषा में इतना अच्छा वक्तव्य आज उन्होंने दिया है। मैं बहुत खुश हूं और आपके माध्यम से उन्हें बधाई देता हूं इसलिए कि तमिल इतनी धनी भाषा है। मैं चाहूंगा कि नारायणसामी जी हमेशा तमिल में ही बोलें क्योंकि इस देश के महान नेता, जो राष्ट्र के नेता है, डा० राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि इस देश में क्षेत्रीय भाषा चलेगी और क्षेत्रीय भाषा में तमिल भाषा एक रिच भाषा है, समृद्ध भाषा है, मजबूत भाषा है। मैं चाहता हूं कि इसी भाषा में बराबर नरायणसामी जी बोलें किन्तु राजनीति थोड़ी कम करें तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि रामदास अग्रवाल जी भी जो संकल्प लाए हैं, उसमें उन्होंने राजनीति की है। अपने वक्तव्य को देने से पहले उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से ऊपर उठकर देश का जो सवाल है, उसके लिए यह संकल्प लाया हूं लेकिन रामदास अग्रवाल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीतिज्ञों के लिए राजनीति क्यों कर रहे हैं। आप तीसरे नम्बर को देखिए। उसमें कहा गया है "परिवार नियोजन के संबंध में उपयुक्त कानून बनाए जाएं ताकि तीन से अधिक बच्चे रखने वाले उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने से रोका जा सके।" ऐसा लगता है कि दल को ज्यादा ध्यान में रखकर आप इस प्रस्ताव को लाए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तीन ही क्यों, अगर दुनिया में चीन एक बच्चा पैदा करके परिवार नियोजन को सिद्ध कर सकता है तो हम इस बात का संकल्प क्यों नहीं लेते कि जिसका एक बच्चा होगा, वहीं चुनाव के लिए उम्मीदवार हो सकता है। संशोधन आपको इस बात का लाना चाहिए। आप राजनीतिज्ञों के लिए राजनीति क्यों कर रहे हैं और खास तौर से सतीश अग्रवाल जी को और अपने साथियों को ध्यान में रखकर आप प्रस्ताव लाए हैं।

श्री सतीश अग्रवाल: मैंने अपना भी ध्यान रखा है।

श्री नरेश यादव: उपसभाध्यक्ष महोदय, इस पर काफी चर्चा हुई है, व्यापक चर्चा हुई है। थोड़े से शब्द

मैं जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कहना चाहता हूं। जनसंख्या में बढ़ोत्तरी क्यों होती है। नारायणसामी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। समान्तवादी प्रवृत्ति भी इसका एक कारण है, यह भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। गांव में उस आदमी को ज्यादा मान दिया जाता है, जिसके पास ज्यादा लड़के होते हैं। यह माना जाता है कि उसके पास ज्यादा ताकत है। अगर गांव में कहीं विवाद हुआ, किसी जमीन पर विवाद हुआ या दूसरे की जमीन पर कब्जा करना हो तो कह देंगे कि हमारे 5,7,8, लड़के चले जाएंगे, वहां किल्ला गाड़ देंगे। जिसको आना है, आए हमारे बेटे संभाल लेंगे। उसकी सामन्ती प्रवृत्ति चलती है और इस समन्ती प्रवृत्ति के खिलाफ मैं इस सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगा, उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि सम्पूर्ण राजनीतिक दलों को राजनीति, जाति धर्म, भाषा से उठकर के विचार करना पड़ेगा कि यह सामन्ती प्रावृत्ति देश में कैसे खत्म हो? इस सामन्ती प्रवृत्ति के प्रतिपादक हम लोग भी हैं। हम लोग अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करते हैं, लोगों को यह दिखाते हैं कि हमारे पास कितनी सम्पत्ति है, कितना धन है और इतनी फुलझड़ियां सजा देते हैं कि लोग सोचते हैं कि मेरे पास भी पैसा है और वह भी ऐसा ही करता है। इस प्रवृत्ति पर सबसे पहले रोक लगानी पड़ेगी जिससे कि परिवार नियोजन पर रोक लग सके।

दूसरी बात उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 1951 से लेकर आज तक यह प्रक्रिया शुरू हुई जनसंख्या नियन्त्रण पर। 1951 में सोचा गया कि इस पर नियन्त्रण किया जाये और उस समय आबादी रही होगी 45 करोड़ और आज आबादी लगभग 91-92 करोड़ से ज्यादा है। हम दुनिया में गरीबी में नीचे से ऊपर में दो चार, दस में आ सकते हैं लेकिन जनसंख्या में सात-आठ साल के बाद दुनिया में सबसे पहले स्थान पर आने वाले हैं। सबसे बड़ी आबादी वाला देश चीन है लेकिन वह हम से कम होने जा रहा है। इससे यह पता चलता है कि उसमें संकल्प शक्ति कितनी ज्यादा है। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यह जो गम्भीर समस्या देश के सामने आ खड़ी हुई है, हम लोगों को इस गम्भीर समस्या का समाधान करने के लिए सार्थक प्रयास करना चाहिए। जिससे यह जो राक्षसी और दत्य जनसंख्यारूपी हमारे सामने खड़ा है, इसे हम कम कर सकें।

उपसभाध्यक्ष जी, इसमें एक कारण और है। वह कारण यह है कि हर आदमी चाहता है कि मेरे यहां लड़का ही हो। इसलिए लोग गर्भ में ही बच्चे के लिंग की जांच करवा लेते हैं और अगर बेटी होने वाली है तो उसका पेट में ही नाश कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, यह दहेज के कारण होता है। आज सबसे बड़ी समस्या देश में दहेज है। क्योंकि लाख, दो लाख, दस लाख, बीस लाख यही प्रवृत्ति हम लोगों ने अपनी बेटी की, बाल-बच्चों की शादी में खर्च करने की कर रखी है। राजनीतिज्ञ अपने बच्चों की शादी में इतना तामझाम करते हैं कि नीचे के कार्यकर्ता लोग भी वैसा ही करते हैं। यह प्रवृत्ति भी हम लोगों ने, हमारे जैसे राजनीतिज्ञों ने फैलाई है। अपने घर मैं बेटी पैदा न हो इसके लिए प्रयास होता है कि जो भी बेटी गर्भ में आने वाली है उसका वहीं नाश कर दो। यह जो बेटे के प्रति ललक है तथा बेटी के प्रति घृणा है इसको समाप्त करना पड़ेगा। आज हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो व्यवस्था है वह पुरूष प्रधान व्यवस्था है। इस व्यवस्था में स्त्री को उतना ही स्थान देना पड़ेगा जितना कि पुरुष का है। जो बिहार सरकार ने लागू किया है उसे सम्पूर्ण देश में लागू करना चाहिए कि लाल कार्ड जो गरीबों को मिलता है उस लाल कार्ड में अब पति के साथ पत्नी का भी नाम होगा। जिससे दोनों समझें कि इस पर दोनों का समान अधिकार है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज एक बात और है जो बहुत गम्भीर बात है। वह यह है कि हम लोग किसी जाति विशेष के हैं, देश के बाद में हैं। लेकिन पहले हम जात के हैं, पहले हम धर्म के हैं और पहले हम भाषा के हैं यह जो भावना है इसको समाप्त करना पड़ेगा। हम यह सोचते हैं कि हमारी जाति के लोग ज्यादा हो जायें तो हम चुनाव में जीत कर आ सकते हैं। इसलिए भीतर-भीतर खुली छूट देते हैं कि जितने अधिक बच्चे पैदा कर सको, उतना अच्छा है। हमें देश के लिए सोचना पड़ेगा और जब तक हम देश के लिए नहीं सोचेंगे, इस प्रवृत्ति को समाप्त नहीं करेंगे कि हम चुनाव में तभी जीत सकते हैं जबकि हमारी जात, धर्म की जनसंख्या ज्यादा हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम चुनाव में तभी जीत सकते हैं जबकि हमारी नीति, कर्तव्य, सिद्धान्त और समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वह सबसे अच्छा हो। हम चुनाव जीत कर आये राजनीतियों को देश के नायकों को, देश के कर्णधारों को इस बात को गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि हम देश को कहां ले जा रहे हैं?

4.00 PM

अगर इसी तरह से यह सिलसिला जारी रहा तो हम लोग आज कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान की जमीन तो नहीं बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है। आखिर इसको नियंत्रित तो करना ही पड़ेगा। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और वे इस प्रकार से हैं कि यहां माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनको एक काम तो करना पड़ेगा। कि जो अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है और कम्पल्सारी एज्युकेशन है, इनको पूरे देश में लागू करना पड़ेगा। जो हमारे विधिवेत्ताओं के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत बनाये आवश्यक शिक्षा के, क्या वह आज पूरे देश में हैं? वह आज पूरे देश में नहीं हैं। जब तक लोग अशिक्षित रहेंगे तब तक बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति जारी रहेगी। जिस तरह से आज पूरे देश में साक्षरता अभियान का मूवमेन्ट चलाया जा रहा है उसको आवश्यक रूप से चलाये जाने की जरूरत है, उससे हर व्यक्ति देश में साक्षर हो जायेगा। आज हमारे देश की बड़ी आवश्यकता क्या है, देश की समस्या क्या है, इसको समझकर यदि हम इसका निदान करें तो देश में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको रोका जा सकता है।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि एक कन्सेप्ट बिहार ने दिया है कि साक्षर जैसे हो आज बिहार में 45 परसेंट लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। साउथ में आदिवासी इलाके में 90 परसेंट बच्चे पशु चराते हैं, पढ़ते नहीं हैं, उनके लिए हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने कंसेप्ट दिया है कि अपनी गाय-भैंसों को चराओ भी और प्रशिक्षण भी प्राप्त करो। भले ही आप लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया लेकिन दुनिया के सामने आज एक कंसेप्ट चरवाहा विद्यालय का आया हुआ है। गांव का जो बच्चा दिनभर गाय भैंसें चराता है वह कहां जायेगा? इसलिए ऐसे बच्चों के लिए यह चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट दिया जिसमें बच्चे पढ़े भी और कुछ सीखे भी, यह बहुत जरूरी है।

अब मैं यह कहूंगा कि अभी हमारे यहां जो शादी की उम्र है वह लड़कियों के लिए 18 वर्ष है और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इस उम्र की सीमा बढ़ाई जानी चाहिये और कम उम्र में की गई शादी को सख्ती से रोका जाना चाहिये। अभी भी कम उम्र में शादियां हो रही हैं। जहां बच्चे की उम्र 15-16 होती है तो माता-पिता इस चिन्ता में डूब जाते हैं कि कैसे हमारे बच्चे की शादी होगी। इसलिए में आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस कानून को सख्ती से लागू करना चाहिये ताकि लोग कम उम्र में बच्चों की शादियां न कर सकें और परिवार नियोजन पर नियंत्रण भी लाया जा सके।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि जो संकल्प रामदास जी ने रखा है, यह देश हित में है, दुनिया के हित में है, निश्चित तौर से इस संकल्प को इस समय पूरे देश को लेना पड़ेगा। सुरसा के मुख की तरह से आज परिवार बढ़ रहे हैं। इसको हम कैसे रोक पायेंगे? अगर आने वाले समय में इस खतरे को देश ने नहीं समझा तो इस देश में सिर्फ मुंड ही मुंड दिखाई देंगे। महानगरों में इस देश की 8 प्रतिशत आबादी रहती है और दिन-व-दिन वहां आबादी बढ़ रही है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है, आम लोगों के रहने की समस्या है, झुग्गी-झोंपड़ियों की समस्या है। मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास जहां-जहां भी आप जायें, यही समस्याएं देखने को मिलेंगी। इसलिए मैं भी इस संकल्प से अपने आपको जोड़ता हूं कि परिवार नियोजन इस देश में आवश्यक हो। यह जो भयानक स्थिति इस देश के सामने है, यह जो समस्या है, इससे निपटने के लिए निश्चित तौर से हमें जाति से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर, हम सब को संकल्प लेना पड़ेगा कि कैसे हम परिवार कल्याण योजना को सफल बना सकें ताकि देश का कल्याण हो सके, दुनिया का कल्याण हो सके।

इन शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Dr. Bharati Ray.

DR. (SHRIMATI BHARATI RAY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to speak on this very *interesting* Resolution. I have heard three very interesting speeches, one in Tamil and the other two in Hindi. I would have liked to speak in Bengali also. Bengali is a very good language. I am resisting my temptation to speak in Bengali.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): There is a convention here. You have to give notice in advance to speak in Bengali. Did you do that?

DR. (SHRIMATI BHARATI RAY): I am resisting my temptation to speak in Bengali. You know, Sir, that we have to face so many temptations in our life. I

say this Resolution is a very interesting Resolution. I say this because I agree with the general principle that population of this country is growing at an alarming rate. That is true. I agree with the idea that there is a need for population-control I will not say planning; Yes , that is true. I agree with

Clause 4 that sufficient funds should be allocated under the Family Welfare Programme. Very true. More money should be allocated for Family Welfare Programme; the more the money, the more better it is. But I am afraid that I cannot agree with Clauses 1,2 and 3. In a very brief speech, I will explain why. I do not agree with Clauses 2 and 3 because I consider them discriminatory; I consider them discriminatory because in clause 2 it is stated that only the Government employees should be deprived of their benefits in service. Why single out Government servants only? There are lawyers, there are doctors, there are teachers and so many other professionals. Just beacuse it is easy to control the Government servants, it is not right to isolate or identify one section of the population only. More interesting is clause 3 that candidates having more than three children should not be allowed to contest elections. I am very surprised that this Clause is here, Why? What is the reason for this Clause? It is because we are a special class of people? Is it because we represent the nation? What is it? I have serious objection to it because this excludes many women. Women have children and let modesty not prevent me from telling the truth women have no control over their body. They have children because their husbands want children. And if you have this Clause, them many women who do not want to have children, but have to have children, will be excluded like this in some other sections of the community also women will be excluded. So will be some other sections of the community. And we know many of the poorer sections of the people have more children because of many reasons and I will come back to that point later. They will be debarred from contesting the elections which are the tools for getting power in this country. And, therefore, I cannot agree with Clause 3. And anyway, is it true that we can, by making Clauses like this solve our problems? Has compulsion yielded any result so far? Think of the Dowry Prohibition Act, on which our hon. friend, Mr. Yadav was speaking so eloquently. Think of the Marriage Act, the age under the Marriage Act. Children are being married off in villages all over India. Do you think compulsion would really work? Do you think the passing of this Resolution would really stop these people from having children? Yes? I agree with the basic premise, of course. But these are not the methods of implementing really what we want.

The question is: why do we have children at all? Why do these people have children, apart from, of course, the urge of nature? Mr. Vice-Chairman, Sir, I read a very excellent article which came out in 'Population Studies' some years ago, wherein, a sociologist had made an excellent analysis of Kenya. He argued that in the developing countries, they have children, more children, because wealth passed from the children to the parents; not from the parents to the children.

The people in the rural areas, the poor people, as we all know, are actually very clever and very intelligent. Illiteracy does not mean ignorance. Illiteracy does not mean foolishness. No doubt; literacy is a tool. But the rural people know what is best for them. They know that their children would earn and they would be benefited. On the other hand, in the advanced countries, the parents have to pay for their children. They do not get any return from their children. I am quoting this gentleman. I am just summarising his thesis. There is no reason for them to have more children. The more the number of children, the greater the economic burden there. But

in the developing countries, it is the reverse; The more the number of children, the leasser the economic burden; firstly, because, they would start earning from the age of five or six; secondly, in countries like India, under the family system, they support the family. Mr. Vice-Chairman, just to give an example, I have three children. If my first son does not look after me, hopefully, the second son would.

Therefore, under the sort of family system and family structure that we have, children are needed to some extent. I am not against the Resolution, in principle. I am not arguing for population explosion. I am only pointing out as to why in developing countries like India, people have more children.

Sir, here, we must not forget the infant mortality rate in our country. If I have three children, I am not sure whether all the three children would survive. If I have more than three children if I have four children, I do not get the benefits of child care; I do not get health care facilities. When I am not sure whether all the three children I have would survive, why should I be debarred from contesting any election? I am not sure. If I know that all the three children I have would survive, if I know that I would have child care facilities, if I know that I would have medical facilities, I would agree; but I am not sure.

There is one other point, a very important point, which I forgot to mention. I did not talk about the first part of the Resolution which says that family welfare/planning programmes should be strictly implemented. In my view, the family welfare programmes have not been properly thought out because they target women. Actually, they should target men. As I said, women have no control over their bodies. Once I went to a village. I do not want to name that particular State. I went to the village and talked to the women. The next day I was gheraoed. The people in the village asked me: उनका क्या अधिकार है? They asked me: 'Why did you go and talk to them'? They said: 'If you want to say something, tell us'.

Therefore, Sir, I would suggest to the hon. Minister, through you, that there should be a rethinking in this regard: a rethinking as to who should be the target of our family welfare programmes.

In conclusion, I would say that unless there is a general socio-economic improvement in the country unless there is a rise in the literacy rate—'literacy' means not only just knowledge, but a little more than that—unless I am aware that is good for me and what is not good for me, unless I am aware what if I have three children, all my three children would survive, I would never agree to population control.

Thank you, Sir.

*SHRI IQBAL SINGH: In today's session, I am going to speak in Punjabi. I have always spoken in English or Hindi, so I thought that there are about 11 crore Punjabi speaking people in India and abroad. Mr. Ramji Das Aggarwal has taken up this resolution and I took it as an opportunity to speak in Punjabi. After I wrote to the Government, the library was supplied with Punjabi newspapers & magazines and I myself have never spoken in my language. So, I think Mr. Bhupinder Singh Mann has alo spoken in Punjabi before and shall speak perhaps today also.

The Resolution is very important for the nation. India is a developing country with a large population. It is second only to China in population whereas it ranks 7th in the world from the area point of view. It is said that the population of India and China-combined, form one-third of the population of the world. According to the 1991 census, the population of India was 85 crores which has increased to 90 crore plus today. In

*English translation of the speech delivered in Punjabi.

1881, the population was only 25 crores. India was a vast country having the original components of Pakistan and Bangladesh. Even after 50 years, we used to sing in our National Song that "we are 35 crore soldiers and we have told the world of our existence, the flag of our country is the best". But today we are witnessing that after the 1939-45 world wars, population has increased sharply. One reason is the declining death rate. Another is that although our country had to face drought many times, but we never had to go through a famine any more. We are proud to say that our country got rid of a famine-like situation when it attained independence. Side by side, many epidemics were controlled, plague and small pox etc. were simply rooted out. So we see that the increase in the population of India cannot be attributed to the negligence of the people only, there are many other reasons too.

It is said about India that it is a rich country but her people are poor. The meaning is that we have ample natural resources but the lack of tachnique and lack of proper utilisation of natural resources is making poverty cling to us. The progress of any country depends upon two main things. (1) Natural resources; and (2) Human resources. Human resources can help control the population of the country by proper utilisation of higher education and production and thus help the utilisation of natural resources.

As I have mentioned before that according to 1881 census, the population of the country was 25.40 crores which declined to 23.59 crores in 1891. In 1901, it was 23.83 crores, whereas it was 25.21 crores in 1911. the population remained stable in 1921. In 1937, it increased to 27.90 crores which further increased to 36.11 crores in 1951. According to the data available after the independence of the country, one fact is clear that the population is constantly increasing. In 1961, it was 43.52 crores, in 1971 it was 54.82 crores, in 1981 it was 68.52 crores and 85.50 crores in 1991. Today, it has crossed the 90 crore mark. This is clear that every year this increase amounts to 1.30 crores—interestingly, it is equal to the total population of Australia. There are such countries like Denmark which have only 50 lakh inhabitants.

Population is directly related to education. It is commonly seen that illiterate people are hardly conscious about population control. We are ashamed to say that India is ranked amongst the most backward countries of the world. The percentage of literacy in 1971 in India was 29.48% whereas it increased to 36.23% in 1981. According to the data available from 1971 census, illiterate men were 53% and 75% women were illiterate. The literacy percentage in 1981 was 46.59% for men and 24.82% for women. It is an accepted fact that we shall have to educate our women in order, to control our population. If woman is educated then she can understand the problems of a large family and thus contribute in controlling the population. Discipline is essential to attain literacy in India Education will have to be kept away from Politics and communalism. I do not feel hesitant to say that the New Education Policy introduced during the government of late Shri Rajiv Gandhi has yielded positive results and we have covered great distances in this field. today, one or two states are claiming 100% literacy and many districts in some states are actually 100% literate. During the tenure of Former P.M. Mr. Narisimha Rao, a summit of a countries with the largest population took place in Delhi. It was emphasised that 100% literacy be achieved in the countries. The P.M. of India had assured during this summit that we shall attain this target in our country.

It is not a matter of mere literacy. The issue concerns higher education for the people too. It is but natural that one child can be given better education whereas the famly will have to face

difficulties in educating more than one child because the means of income are limited.

The increasing population of India is also adversely affecting the economic development of the country. The pressure on land and capital is increasing everyday. Per capital land is decreasing. Increasing Population is the root cause of all the problems of the country—This is why we are facing problems regarding food, accomodation, clothing, transporation, environment, education expantion, unemployment, disease, inflation, hoarding, Black marketing and corruption etc. We have 2.4% of the total land of the world whereas our population is 15% of the total population of the world. According to facts, for this ever increasing population, we have to provide 18.2 lakh tonne, 13 crore mts. of cloth, 36 lakh houses, 1.30 lakh primary schools, 4 lakh teacher, 52 lakh employment opportunities for the unemployed. If strong steps are not taken to check this increase in population, this problem might become aggravated.

Some steps that can be taken are—

(i) The marriageable age should be increased. Acharya Rajneesh has said that the age of the woman should be more nature because that will help her understand things better and thus contribute to the development of the nation.

(ii) The rapid spread of education should be ensured. It has been said in Guru Granth Sahib that "Education is meant for the welfare of mankind and it has nothing to gain for itself." The giver as well as taker of education should be keen to do his respective job; only then can be spread of education be ensured.

(iii) The people should be motivated to raise their living standards. They should be made conscious towards small families.

(iv) The girl child should be given higher education, Our constitution has already decided for free education for all children upto 14 yrs. of age.

(v) Moral Education be made a part of education. Sex education should also be given to children.

People should be made conscious towards the use of contraceptives. Vasectomy tubectomy be made essential after two children.

People should be motivated to bridge the gap between a girl and a boy. To keep on producing children for the mere desire for a boy is not good. The family with one child be given special facilites. Any family with more than two children should be deprived of all such benefits like Bank-loan ration cards etc. It is important to metion here that this experiment has yielded positive results in China. This is why they have been able to check the alarming growth in population.

About womankind, our society has always had a negative approach. A girl child is seldom desired. But Guru Nanak Dev Ji has said that "Let not the woman be condemned for she is the one who gives birth to kings." She is the one to give life to great people. When we say "Sita Ram" or "Radha-Krishna" we mention Sita, the woman before Ram and Radha before Krishna so, woman should be respected in this country. A fellow Parliamentarian Madam has just said that it is the husband who decide about children but today we are trying for the 33% reservation in the Parliament as well as the whole of the country in order to make both work as equals. And woman too should be able to motivate her husband. Therefore, education of woman is very essential.

So, it can be said that for proper development of the country, population

has to be checked. If we want to see industry, agriculture to develop, if we want that unemployment be alleviated, we must check population growth. You must be remembering that we used to import food-grain from America, a few years back. It is right that the farmer of Punjab and Haryana and some other states has progressed a lot in agriculture but this increase means nothing if propulation keeps on growing.

In order to raise the living standards, to root out corruption from society, to spread education, to control inflation and to increase the national income, we have to control population.

I would rather say that we must take strick steps, if need be. Seeing the gravity of the problem, we must rise above party lines. I remember in 1975, Sanjay Gandhi had raised this issue. I admit some mistakes had been committed, but I remember till today that in 1977, the Congress Party lost only because this issue of vasectomy and tubectomy had been raised, Family Planning made us loss the elections. Today all parties have an eye on the vote bank.

I read in newspaper yesterday that in Punjab a father killed 3 daughters, only due to population. They all consumed poison. Today, there has been a care in which a cancer patient had killed his 13 year old son—due to porerty. This type of unhealthy atmosphere has to be stopped. I am reminded of a few lines by Iqbal—in which he has given the idea that the Indian must think of his country because the calamity is about to fall. If he does not wake up in time, he will be destroped and nobody will ever remember him."

This issue therefore, demands great attention, in order to lead the country on the path of progress. We shall have to act together. I have spoken in Punjabi for the first time today, I am proud to say that India is country with many languages. "We are all like stars but our shine is like one. We are all Indians." We are to attain great heights and make India rise. This will be our greatest achievement. Jai Hind.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): I have to make an announcement. The prime Minister will make two Statements at 5.30 p.m. here. One is regarding Jammu and Kashmir and the other is on the law and order situation in Delhi, the assurances about which was given yestrerday during Zero Hour.

श्री राघवजी (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, धन्यवाद, जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। सबसे पहले तो मैं श्री नारायणसामी जी और श्री इकबाल सिंह जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि एक ने तमिल में और दूसरे ने पंजाबी में अपनी बात को सदन के सामने रखा। यह बहुत अच्छी बात है कि अंग्रेजी का मोह छोड़कर अपनी मातृभाषा में इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। यह स्वागत योग्य है।

महोदय, माननीय सदस्य रामदास जी जो संकल्प लाए हैं, वह तो निर्विवाद है। यहां जितने भी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, सबने उसका समर्थन किया है। पूरा देश आज इस बात के लिए चिंतित भी है, जो जनसंख्या में इस तरह से निरंतर वृद्धि हो रही है। इकबाल सिंह जी ने बहुत ठीक कहा कि हम हर साल एक नया आस्ट्रेलिया हिन्दुस्तान में पैदा कर रहे हैं यानि हिन्दुस्तान में जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो रही है।

महोदय, आजादी के समय जितनी जनसंख्या हमारे देश में थी अविभाजित भारत मे, आज विभाजित भारत में उससे तिगुनी जनसंख्या हो गई है। पाकिस्तान और बंगला देश की जनसंख्या अलग है, हिन्दुस्तान में आज उससे तिगुनी हो गई है। जितनी आजादी के समय हिन्दुस्तान की आबादी थी, उतनी आबादी तो आज हिन्दुस्तान में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रही है और हर साल इनके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। भले ही सरकार यह दावा करे कि हमने गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या के प्रतिशत में गिरावट की है, हमने अनपढ़ लोगों की संख्या के प्रतिशत में गिरावट की है या बीमार लोगों की संख्या में गिरावट की है, लेकिन कुल मिलाकर संख्या तो बढ़ी है। गरीब बढ़े हैं, उनकी संख्या बढ़ी है, बीमार बढ़े हैं, बेरोजगार बढ़े हैं, आवासहीन लोग बढ़े हैं, उनकी संख्या हर साल बढ़ रही है और यह इसलिए बढ़ रही है

क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अब यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमें इस जनसंख्या में हो रही वृद्धि को रोकना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य से कई बातें ऐसी हैं जो जनसंख्या को रोकने के जितने प्रयास हो रहे हैं, उन प्रयासों को कहीं न कहीं छोटे या बड़े रूप में विफल भी कर रही है। इस देश में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में दुनियाभर की अच्छाइयां हैं लेकिन एक अनिवार्य बुराई भी उसमें है कि उसमें सिर गिने जाते हैं और जिसके पास ज्यादा सिर होते हैं, वह सत्ता में रहता है। अब आज देवेगौड़ा जी प्रधान मंत्री सिर्फ इसलिए हैं कि वे 300 से ज्यादा सांसदों के सिर गिना सके और वाजपेयी जी को इसलिए हटना पड़ा है कि वे 185 से ज्यादा सांसदों के सिर अपने पक्ष में गिनवाने की स्थिति में नहीं थे। आब यह स्थिति है और इसको कहीं न कहीं बढ़ावा देता है सम्प्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और इन वादों के रहते हुए मन में यह भावना पनपती है कि अगर सत्ता में आना है, सत्ता पर कब्जा करना है तो जनसंख्या को रोकने वाली बात पर क्यों विश्वास किया जाए क्योंकि अगर आपके पक्ष में लोग कम होंगे तो आपके लोग चुनकर कम आएंगे और सत्ता के दरवाजों तक पहुंचने में आपको कठिनाई होगी। दूसरी एक बात, जो हमारे माननीय सदस्य ने बताई, वह भी ठीक है कि बाहुबल दिखाने की बात भी गांवों में एक लोभ या आकर्षण पैदा करती है कि अगर हमारे पांच-सात बच्चे हैं तो हमारा पूरे गांव में दबदबा रहता है कि और इस दबदबा को कायम रखने के लिए भी कभी-कभी इसको प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन यह अच्छी बात है कि देश में आज यह चेतना बन रही है कि जनसंख्या कम होनी चाहिए। आज कोई भी व्यक्ति यह कहने को तैयार नही है कि जनसंख्या में वृद्धि होनी चाहिए। गुप-चुप रूप से भले ही थोड़े-बहुत प्रयास होते होंगे लेकिन खुले रूप में अब कोई भी यह कहने की स्थिति में नही है कि उस सम्प्रदाय की, जाति की, क्षेत्र की जनसंख्या बढ़नी चाहिए। इस प्रकार का तर्क देने के लिए अब कोई तैयार नहीं है और यह एक अच्छी बात है। अब आजादी के बाद जो स्थिति बनी है और इससे जो देश की दुर्दशा हो रही है, इस दुर्दशा को कैसे रोका जाए? आज जो हमारे देश में विकास की गति रुक रही है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, छत-विहीन लोगों की संख्या बढ़ रही है, बीमारों की संख्या बढ़ रही है तो इसका सबसे बड़ा अगर कोई एक कारण ढूंढा जाए तो यह है कि जनसंख्या में हो रही लगातार वृद्धि। इस जनसंख्या की वृद्धि को कैसे रोका जाए, इसके लिए भी अब विचार होना चाहिए। रामदास अग्रवाल जी ने चार बाते अपने संकल्प में लिखी हैं। मैं उनकी तीन बातों से तो सहमत हूं लेकिन उनकी चौथी बात से मैं उतनी सहमति व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने कहा है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिए धनराशि का ज्यादा

[उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी) पीठासीन हुए]

आवंटन किया जाए। मेरा कहना यह है कि इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहेगी अगर हम कुछ कड़े निर्णय लें और उनको कड़ाई से लागू करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर अधिक राशि आवंटित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और उस राशि को विकास कार्यों में खर्च किया जा सकेगा। हम तो प्रतिवर्ष अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, कितने ही वर्षों से कर रहे हैं, क्या आबादी बढ़ना रुक पाया है? अभी इकबाल सिंह जी ने अनेक जनगणना के आंकड़े दिए हैं। हर वर्ष हमारी आबादी बढ़ी है, जबकि हम अरबों-खरबों रुपए आबादी को रोकने के लिए, जनसंख्या को रोकने के लिए खर्च कर रहे हैं, अपने बजट में उसका प्रावधान कर रहे हैं। तो केवल धन खर्च करने से अब यह बात हिन्दुस्तान में नहीं होगी और इसलिए नियम कानून कड़े बनाने पड़ेंगे और उन कड़े कानूनों का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। मैं इसके लिए पहला सुझाव यह दे रहा हूं कि हिन्दुस्तान में समान नागरिक संहिता होनी चहिए, कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, आज इसकी आवश्यकता है। अब हिन्दुस्तान में यह बात नहीं चल सकती कि एक व्यक्ति 5-5 या 10 पत्नियां रखे, उसके ऊपर कोई रोक न हो और दूसरा व्यक्ति एक ही पत्नी रख पाए। हमारे देश में एक पत्नी विचार को हमेशा समर्थन मिला है, नैतिक समर्थन मिला है। भगवान राम के सामने भी जब यह प्रस्ताव आया, शूर्पणखा आई और उसने यह आग्रह किया कि मेरे से विवाह कर लो, वह कितनी भी सुन्दर रही होगी, लेकिन भगवान राम ने कहा कि मेरी एक पत्नी है, इसलिए मैं दूसरी पत्नी नहीं रख सकता। हिन्दुस्तान में हमेशा इस भावना का आदर हुआ है, यह इस देश की थाती है यह इस देश की सम्पत्ति है, जिस पर हम गर्व कर सकते हैं और हिन्दुस्तान में रहने वाला, चाहे वह किसी सम्प्रदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, उसको यह बात माननी चाहिए कि इस भावना को, जिसका सदियों से इस देश में आदर होता रहा है, उसको हम कानून के रूप में भी स्वीकार कर लें। और इसलिए अब इस देश में ऐसे

कानून बनाने की आवश्यकता है कि एक व्यक्ति को केवल एक पत्नी रखने का अधिकार हो, इससे अधिक रखने का अधिकार न हो। नम्बर-1।

मेरा दूसरा सुझाव है। वह थोड़ा कड़ा सुझाव है। माननीय रामदास जी ने यह कहा है कि उम्मीदवार बनने के लिए उसकी पात्रता हेतु दो या तीन से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। मैं थोड़ा इससे भी एक कदम आगे बढ़ना चाता हूं। मेरा यह निवेदन है, मेरा यह आग्रह है कि अब कानून इस बात का बनना चाहिए कि मतदान का अधिकार जिनके तीन बच्चे से अधिक होंगे उनको नहीं मिलना चाहिए। यह एक वर्ष के बाद लागू कर दीजिए ताकि अभी से यह व्यवस्था करलें, आगे से बच्चे पैदा न हों। अगर आप इस स्थिति पर आ गए तो मैं समझता हूं कि आप जितना खर्च कर रहे हैं आपको अरबों रुपया खर्च करने की आवश्यकता न रहेगी। आज जो यह भावना मन में कहीं न कहीं छिपी रहती है कि हम सत्ता पर कब्जा करें, हमारे वोट बढ़ेंगे। अगर आपने इस पर रोक, लगा दी तो इसमें बहुत सी बुराईयां ठीक हो जांएगी और सबसे कारगर यह सिद्ध होगा कि जिस व्यक्ति के तीन या उससे अधिक बच्चे होंगे उसको मतदान से वंचित कर दिया जाएगा। आज से एक वर्ष के बाद से लागू हो। ...**(व्यवधान)**

इकबाल सिंह जी ने यह भी कहा कि दो बच्चों के बाद तो अनिवार्य नसबन्दी कर देनी चाहिए। अगर इनका सुझाव मान लिया जाए तो बाकी के सारे सुझावों पर अमल करने की जरुरत ही नहीं है। अगर अनिवार्य नसबन्दी हो जाएगी तो फिर आगे धन खर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं आगे कहना चाहता हूं कि पंचायत से राष्ट्रपति तक के सारे चुनावों के लिए उस व्यकित की पात्रता समाप्त कर देनी चाहिए जिसके दो या दो से अधिक बच्चे हो। अगर यह होगा तो इससे प्रचार-प्रसार भी बहुत तेजी से होगा, तनिक भावना भी बढ़ेगी तथा देश में वातावरण बनेगा।...**(घंटी)**...बस, दो-तीन मिनट और लूंगा।

शासकीय और अर्थशासकीय नौकरियों में भी जिन व्यक्तियों को दो के बाद तीसरा बच्चा पैदा हो, उनको नौकरी से हटा देना चाहिए। यह कानून बना देना चाहिए। किसी भी व्यकित को किसी भी प्रकार का शासकीय कर्ज या बैंक से कर्ज नहीं मिलना चाहिए जिसके दो से अधिक बच्चे हों। जो छात्रवृत्ति दी जाती है उस पर भी यह रोक लगनी चाहिए कि दो छात्रों तक छात्रवृत्ति दी जाएगी तथा जिनके दो बच्चों से ज्यादा बच्चे होंगे उन बच्चों को इससे वंचित कर दिया जाएगा। यह नियम बनाने की आवश्यकता है। फिर हमारे शासन की ओर से बहुत मामलों में सहायता दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। हर प्रकार की सहायता या सब्सिडी—चाहे वह जे०आर०वाई० के अन्तर्गत हो, आई०आर०डी०पी० में हो, चाहे बड़े उद्योगपति को हो वह सारी सहायता और सब्सडी उन व्यक्तियों को बंद कर देनी चाहिए जिनके दो से अधिक संतान हों। राशन कार्ड में भी रियायती दरों पर अनाज, घासलेट, शक्कर आदि मिला करता है। तो यहां पर भी यह प्रतिबंध लगाना चाहिए कि अगर तीन या इससे अधिक संतान हुई तो उसका राशन कार्ड जब्त कर लिया जाएगा। राज्यों को धन आवंटित करने में एक मुद्दा यह भी होना चाहिए और उसके लिए एक अलग प्रावधान होना चाहिए कि हम उस राज्य को 100 करोड़ रुपया अतिरिक्त देंगे जिसकी जनसंख्या दर की सबसे कम वृद्धि है या गिरावट है। ऐसे राज्यों को केन्द्र की तरफ से अतिरिक्त सहायता मिलना चाहिए तो इससे भी कुछ लाभ होगा। फिर जनसंख्या वृद्धि और भी कई बातों से बढ़ती है। हिन्दुस्तान के अंदर पड़ौसी देशों से जो करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं और आज अनुमान है कि लगभग दो करोड़ लोग बंगला देश या पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में आकर बस रहे हैं, तो इस प्रकार के इनफिल्ट्रेशन के ऊपर कठोरता से रोक लगानी चाहिए और जितने लोग आ चुके हैं उनको आईडेंटिफाई करके वापिस पहुंचाना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आपके दो मिनट भी हो गए।

श्री राघवजी: मैं समाप्त ही कर रहा हूं। अंत में मेरा यही निवेदन है कि कड़े नियम और कड़ाई के साथ पालन करेंगे तो हमको अधिक धनराशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं है और जनसंख्या के ऊपर कारगर नियंत्रण भी रह सकेगा, जनसंख्या वृद्धि को भी हम रोक पाएंगे। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रामदास अग्रवाल जी द्वारा यह संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था—

"Having regard to the fact that the population of our country is growing at an alarming rate with serious implications on the overall socio-economic development, employment, housing, poverty alleviation and on the living standard of the people of India, this House resolves that—

(i) the family welfare/planning programmes be strictly implemented;

(ii) the straingent rules be framed so that Government employees would be allowed to derive benefits in service, only if they agree to have two or three children;

(iii) suitable laws pertaining to family planning be enacted so as to restrain the candidates having more than three children from contesting elections of any type; and

(iv) sufficient funds should be allocated under the family welfare programmes during the Ninth Five Year Plan."

These are the enabling points. इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है, मानस बहुत अच्छा है लेकिन मुझे लगता है कि केवल चार बिन्दुओं के इंप्लिमेंटेशन से सारी बीमरी दूर होने वाली नहीं है। हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, यह बात सही है और यह भी कहा जाता है कि हर रोज़ हमारे देश में एक छोटे आस्ट्रेलिया महादेश की आबादी के बराबर नए लोगों का जन्म होता है। इसको रोकने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को स्ट्रिक्टली इंप्लिमेंट करना क्या संभव है? हमार देश एक वेलफेयर कंट्री है। हम कोअर्शन के साथ, ज़बरदस्ती के साथ कोई काम नहीं कर सकते। हमें लोगों की रज़ामंदी से ही काम करना होता है। फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम जगह-जगह पर प्रचरित किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है और लोग इसको अपनाएं, तभी यह संभव है। यह देश मल्टी-रिलीजियस, मल्टी-ऐथनिक, मल्टी-रेशियल, मल्टी-कल्चरल देश है। इसमें अलग-अलग भाषाएं, प्रांत, बोलियां और लिबास हैं। अलग-अलग धर्म, अलग-अलग मान्यताएं हैं और इन्हीं के कारण हमारी परेशानी कुछ बढ़ती भी है और आज की यह स्थिति देखने को मिलती है।

इसके बाद इन्होंने कहा कि सरकारी कानून ऐसे बनाएं कि सरकारी नौकरों के दो ही बच्चे हों तो ठीक है। इसकी तरह से कई मुद्दे इन्होंने कहे हैं। जो इसका मानस है, उसके साथ तो मैं हूं ओर मैं मानती हूं कि यह होना चाहिए। मोटी बात यह है कि हमारे देश में परिवार नियोजन और आबादी नियंत्रण होना आवश्यक है। अगर यह नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज हम 20वीं शताब्दी के अंत में खड़े हैं और 21वीं शताब्दी में जाएंगे। जब हम 21वीं शताब्दी में जाएंगे तो हमारा देश कौन सा देश होगा? इस देश में गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हैं, उसके सही-सही आंकड़े भी हम तय नहीं कर पा रहे हैं। कभी कहतें हैं कि पचास प्रतिशत हैं, कभी कहते हैं कि तीस प्रतिशत हैं लेकिन यह गरीबी रेखा है क्या? इसका भी कोई सही आंकलन हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम श्रम विभाग के आंकड़ों को मान लें तो इस सदी के अंत तक इस देश के लगभग 10 करोड़ नौजवान नौकरी के बाज़ार में आ जाएंगे, जिनके हाथ में काम नहीं होगा, कोई रोज़गार नहीं होगा, जो रोज़गार के बाज़ार में खड़े होंगे। ऐसा देश तो ज्वालामुखी पर ही बैठा होगा। तो एक तो यह स्थिति है।

दूसरे, अनाज पैदा करने के लिए हमारे पास ज़मीन सीमित है। ज़मीन को रबड़ तो है नहीं कि खींच कर लंबी हो जाए। तो ज़मीन का भी मैक्सिमम युटिलाइज़ेशन जितना संभव है वह किया जा रहा है और खाद, बीच, सिंचाई आदि साधनों को उपलब्ध कराया जा रहा है। हम खाद्यात्र के मामले में आज के दिन में स्वयं सम्पन्न हैं। हम दुनिया के बाजार में कटोरा लेकर भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमें अनाज चाहिए। हम स्थिति को नियंत्रित न कर पाएं तो यह भी हो सकता है। यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। पहनने के कपड़े के संबंध में कुछ कहना चाहती हूं। हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि पहनने के लिए कितने कपड़े हम एक व्यक्ति को उपलब्ध कराते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि हम पहनने के लिए इतने कपड़े भी उपलब्ध नहीं करा पाते कि गरीब आदमी कपड़े बदलकर सफाई के साथ रह सके। ऐसा मैंने हिन्दुस्तान के ग्रामीण क्षेत्र में देखा है। एक बार मैं चुनाव के संबंध में कही गयी और मुझे महिलाओं से बात करनी थी। जो सज्जन बाहर बैठे थे, उन्होंने कहा कि आप बैठिए, मैं अंदर जाकर अपनी पत्नी को भेज देता हूं। वह अंदर गया और उसने अपनी धोती अपनी पत्नी को पहनाकर उसे बाहर भेजा। मैंने कहा कि हमारे लिए बड़ी परेशानी की बात है कि हमने आपके काम को छुड़वाकर आपको बाहर बुलवाया है, माफ कीजिएगा। लगता है, आप काम में

व्यस्त थीं तो उस महिला ने कहा कि नहीं, यह बात नहीं है, हम दोनों पति-पत्नि के पास एक ही साबुत धोती है। हमारे पति बाहर बैठे हुए थे, वह अंदर आए और कपड़े बदलकर उन्होंने कहा कि तुम जाओ, बाहर बहन जी आयी है, उनसे बात कर लो। तो वह धोती बदलकर मैं आपसे बात करने के लिए आयी हूं। हम दोनों के पास साबुत कपड़े नहीं हैं। ऐसी स्थिति आज हिन्दुस्तान में है। अगर हम इसे बदलना चाहते हैं तो फिर निश्चित रूप से कुछ न कुछ कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। कई लोगों ने चीन के बारे में चर्चा की। कई लोगों ने कुछ और बातें कहीं। चीन में मुझे कई बार जाने का मौका मिला है। इस सदन में मैंने कई बार कहा है। हमारे पूर्वी एशिया के जो देश हैं, उनकी सामाजिक मान्यताएं एक हैं। मैं जब एक बार चीन गयी थी तो मेरे साथ जो मेरा दुभाषिया था, उसने पूछा कि "How many children do you have?" I said, "Three daughters". He asked, "who carries the name of the family?" "the girls cannot carry the name of the family. It is only the boys who carry the name of the family."
लड़कियां अपने वंश का नाम नहीं चला सकती हैं, लड़के चलाते हैं। हमारे हिन्दुस्तान में भी यही मान्यता है। हिन्दुओं और दूसरे लोगों में यही मान्यता है क्योंकि अगर हमारे यहां लड़का नहीं होगा तो पुरखों का पिंड दान कौन करेगा? नर्क से त्राण कैसे पाएंगे? तो बेटा तो होना ही चाहिए। अगर लड़का.नहीं हो रहा है तो चलो लड़की ही सही। किसी ने कहा कि इस तरह से बड़ा परिवार हो जाता है। 8-10 बच्चियां पैदा हो रही हैं। पर आजकल एक नया तरीका निकल आया है कि भ्रूण परीक्षण कराओ और पैदा होने से पहले ही बच्ची हो, तो उसे-मां के पेट में मार दो। यह भी हो रहा है। यह समस्या केवल हमारे यहां नहीं है। चीन देश में लड़कियों की संख्या घटी है। Women population is going down. उनकी भी यही मान्यता है कि लड़का होना चाहिए और अगर मां के गर्भ में लड़की है तो उसको आपरेशन कराकर निकाल दो। इस तरह से पापूलेशन इम्बैलेंस हो रहा है। एक तरफ यह चित्र है। दूसरी तरफ बेकारी का चित्र है और तीसरी तरफ फैमिली वैलफेयर है, पापूलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, यह है। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक कमेटी है, Tripartite Committee on Health and Family Welfare. मैं उसमें श्रमिक वर्ग की ओर से काफी समय से प्रतिनिधित्व करती आयी हूं। बार-बार हमने कहा कि आज के समय में हिन्दुस्तान में रिप्रोडक्टिव एज के कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं, उसको आप लोग आइडैंटीफाई कीजिए। यह सरकार कर सकती थी। सरकार के पास सारे साधन हैं। जितने लोग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के हैं, उन्हें आईडेंटीफाई करके उनको कहा जाए कि इस देश की बेहतरी के लिए, चूंकि आप कामगार हैं, चाहे सरकारी नौकरी में हैं या पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग में हैं, कहीं भी हैं, आप अपने परिवार को सीमित कीजिए। इसमें पति-पत्नी दोनों को मोटीवेट करके ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है।

केवल पति को ट्रेनिंग देने से काम नहीं चलने वाला है। पति-पत्नी दोनों को मोटीवेट करके ट्रेनिंग की आवश्यकता है ताकि स्वतः वह इस काम में आगे बढ़े। क्योंकि कानून हमेशा सफल नहीं हो पाता है, इसको हम लोगों ने देखा है। अब फैमली प्लानिंग प्रोग्राम को ठीस से लागू करने के लिए जाल बिछाकर बहुत तेजी से इम्पलीमेंट करने का काम गांव-गांव में फैलाना चाहिए। यह ठीक है कि टेलीवीजन और रेडियो में प्रचार खूब है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि कितने लोगों के पास रेडियो या टेलीविजन हैं। जब हमारे सब गांवों में बिजली ही नहीं है तो गांव में टेलीविजन कैसे पहुंचेगा? हिन्दुस्तान के आधे से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं है, सड़क नहीं है तो टेलीविजन कहां से होगा। इसके लिए अन्य उपाय ढूंढने पड़ेंगे। कितनी जगह ऐसी हैं जहां पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर नहीं हैं क्योंकि वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनको कोई सुविधा नहीं है, उनको रहने की जगह नहीं है, उनको कोई बेसिक सुविधा नहीं है। नतीजा यह है कि फैमली वेलफेयर का जो प्राइमरी काम है, वह सफल नहीं हो पाता है। इसलिए इन बातों को देखना पड़ेगा।

दूसरा एक संगठन आंगनवाड़ी का है जिसमें छह लाख औरतें काम करती हैं और वे इन्हीं बातों को लेकर डिप्रेस्ड क्लास आफ सोसायटी के बीच में काम करती हैं। उनको कम मानदेय दिया जाता है। इसके लिए वह सही मायने में काम नहीं करती हैं, उनका सब-स्टैण्डर्ड लिविंग हो तो वे क्या काम करेंगी। तो ये सब बातें हैं। मैं रामदास अग्रवाल जी की इस बात से जरूर सहमत हूं कि सरकारी एम्पलाईज जो हैं, केवल सरकारी एम्पलाईज़ ही नहीं, सरकारी तंत्र में नौकरी करने वाले, क्वेसी

गवर्नमेंटल जाॅब में जो लोग हैं, पब्लिक सैक्टर अण्डर टेकिंग में जो लोग हैं, इन सारे लोगों के लिए होना चाहिए कि टू चिल्ड्रन नार्म जो फैमली अपनाएगी उसको हम विशेष सुविधाएं देंगे। क्या-क्या सुविधाएं देंगे, वह भी तय करना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई का इन्तजाम करेंगे और बच्चे बड़े होंगे तो उनको नौकरियों में सुविधाएं देंगे। जब तक इम्पेटस नहीं दिया जायेगा, कोई सुविधा नहीं देंगे, कोई मानसिक परिवर्तन का उपाय नहीं किया जाएगा तब तक इसको लागू करना मुश्किल होगा और लोग मानेंगे ही नहीं। फैमली प्लानिंग को इस ढंग से किया जाए—श्री चिल्ड्रन्स मेंबर फ्राम कंटेस्टिंग इलेक्शन ये बातें तो हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। लेकिन इसके लिए एक सेन्ट्रल लाॅ भी होना चाहिए, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो या किसी भी तरह का इलेक्शन हो। केवल असेम्बली, पार्लियामेंट और पंचायत ही नहीं किसी भी तरह के चुनाव में कोई भी ऐसा व्यक्ति भाग न ले सके जिसका बड़ा परिवार हो। ऐसे किसी भी व्यक्ति को चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाना चाहिए जिसके तीन से अधिक बच्चें होंगे। इससे आने वाले चुनावों में अगर थोड़ी सी रुकावट होगी तो लोगों को सोचने के लिए बध्य होना पड़ेगा। मुझे याद आता है कि हमारे बिहार प्रान्त में आयंगर जी गवर्नर थे तो उनको एक दफा फैमिली प्लानिंग की मीटिंग में बुलाया गया था, इस पर उन्होंने कहा कि मुझे क्यों बुलाया है, मेरे तो 18 बच्चे हैं। जब कि उस समय इसकी कोई बात भी नहीं थी परन्तु आज तो वह बात भी है। आज तो जिनको बुलाया जाएगा उनको सोचना पड़ेगा कि इसमें हम भाषण दें या नहीं, हमारे इतने बच्चे हैं।..

श्रीमती रेणुका चौधरी: यह जो रूल लाये उस मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री का काफी बड़ा परिवार है।

श्रीमती कमला सिन्हा: ठीक है। उन्होंने अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरिएंस से सबक सीखा। इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि ऐसा रूल बनना चाहिए। श्री रामदास अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये इसे हम लोगों के सामने लाये हैं और इन्होंने इस पर सोचने का मौका दिया है। मुझे लगता है कि पूरे सदन के सदस्यों को इसमें भाग लेना चाहिए।

इन्होंने कहा कि नाईंथ फाइव ईयर प्लान में फैमली वेलफेयर प्रोग्राम के लिए पैसे का अधिक एलोकेशन होना चाहिए। यह बात सही है। अब प्लानिंग कमीशन बन गया है। मुझे लगता है कि आपको इसके लिए दस्तावेज तैयार करना चाहिए। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जो कुर्सी पर बैठे हैं वह इसके लिए बहुत सक्षम व्यक्ति होंगे। चाहे तो वह भी दस्तावेज तैयार करें और आपको अपने दल की ओर से उसे प्लानिंग कमीशन को देना चाहिए और आप चाहेंगे तो हम सब लोग मिलकर के इसमें कुछ ब्रेन स्टोमिंग का काम करेंगे।

बातें तो बहुत हो गई हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहती हूं। मैं केवल इतना ही कहूंगी कि हमारे देश में बड़ी फेमिली, पोपुलेशन एक्सप्लोजन और गरीबी रेखा ये सारे के सारे मामले इन्टर लिंक्ड है और समस्या इतनी जटिल होती जा रही है कि एक तरफ तो बेकारी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ दुनिया में आज के दिन आई०एल०ओ० के फ्लोर पर, सब जगह चाइल्ड लेबर, बाल श्रमिकों के बारे में बहस हो रही है। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा बाल श्रमिक सरकारी आंकड़ों के हिसाब से दो करोड़ हैं और अगर गैर सरकारी समझे जायें तो कई गुना ज्यादा होंगे। सचमुच यह एक बहुत ही शर्मनाक बात है। आये दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों को बेच देते हैं और जो बड़ी फेमिलीज होती हैं उनमें औरतों को भी बेच देते हैं, फर्स्ड प्रोस्टीट्यूशन कराते हैं। यानी एक गरीबी से सौ बुराइयां जन्म लेती हैं और वे ले रही हैं। हिन्दी में एक कहावत है—एक सधे तो सब सधे। अगर पोपुलेशन एक्सप्लोजन को किसी तरह से सही मायने में रोकने का तरीका निकाला जाये तो बाकी सभी बीमारियां धीरे-धीरे कम होती जायेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक तरह से इसको रोकना जरा मुश्किल होगा। एक तो कानूनी तौर पर कुछ काम को सकता है दूसरा मैसिव कैम्पेन चलाकर लोगों को समझाकर, एवेयरनेस पैदा करके, लोगों के पार्टिसिपेशन्स से हो सकता है। तीसरे, जो इसमें भाग लें, ऐसे लोगों को कुछ इन्सेंटिव दे जैसा मैंने कहा और जैसा अग्रवाल जी ने भी कहा कि सरकारी नौकरियों में इनको कुछ इन्सेंटिव दिया जाये। मैं तो यही कहूंगी कि सरकारी नौकरियों में ही नहीं सरकारी और अर्धसरकारी, पब्लिक सैक्टर में काम करने वाले सभी के लिए जो एप्लीकेबिल हो, फिर एक बड़े पैमाने पर, एक सैक्शन आफ दी पापुलेशन जिनकी संख्या दो-ढ़ाई करोड़ की होगी ये जब कुछ काम में आगे आयेंगे तो फिर उनका असर ग्रामीण इलाकों पर भी पड़ेगा और दूसरे

इलाकों पर भी पड़ेगा। जब उनको यह दिखाई देगा कि इनसे उनको फायदा हो रहा है तो यह बात आगे बढ़ सकती है। हमें अपनी मानसिकता को भी बदलना है। हमारे एक साथी नरेश जी ने तिलक दहेज व रुपया-पैसा लेने वाली बात कही, ये सारे मामले आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए हैं। जिसका बेटा होता है उसका बाप समझता है कि शादी में हमारा बेटा पैसा कमाने का साधन है, युनिवर्सिटी की डिग्री है, इससे कितना पैसा मिलेगा उसको। साथ ही हमें इस मानसिकता को भी बदलना पड़ेगा। इसलिए जो समाज की अगुवाई करने वाले लोग हैं, जो संसद में, विधान मंडलों में, समाज में अपने को अगुवा कहते हैं जो राजनीतिक दलों के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको आगे आना पड़ेगा। सरकार को इसके लिए एक नोडल मिनिस्ट्री बनानी चाहिये, जो सारे लोगों को इकट्ठा करके काम करे तभी ये सफल हो सकते है नहीं तो हमेशा संसद में कोई न कोई प्रस्ताव आयेगा, विधेयक आयेगा, हम बात करते रहेंगे, फिर भी बात जहां की तहां रह जायेगी। हिन्दुस्तान की आबादी बढ़ती ही चली जायेगी, हमारी आबादी बढ़ती चली जायेगी और हमारी कोई तरक्की नहीं होगी क्योंकि पिछले 50 साल तो बीत गये आज़ादी के और आने वाले 50 साल भी बीत जायेंगे और फिर कल को किसने देखा है। यह स्थिति है। महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यावाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Thank you, Kamlaji. Now, if the House so agrees, we may continue this discussion in the next Session because we have to take up the Statutory Resolution. The Minister is also there to move the Bill for consideration.

SHRI SATISH AGARWAL: Mr. Vice-Chairman, I have given notice of a motion for reference of this second Bill to a Select Committee of this House and to report by the 12th of August, 1996. I seek your permission to move this motion.

Will the Minister move first and then I move?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): The Minister will first move the Bill for consideration.

I. THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) BILL, 1996

II. THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS' WELFARE CESS BILL, 1996

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to regulate the employment and conditions of service of building and other construction workers and to provide for their safety, health and welfare measures and for other matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok sabha, be taken into consideration."

Sir. I also move:

> "That the Bill to provide for the levy and collection of a cess on the cost of construction incurred by employers with a view to augmenting the resources of the Building and Other Construction workers' Welfare Boards constituted under the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, as passed by Lok sabha, be taken into consideration."

SHRI SATISH AGARWAL (Rajasthan): Mr. Vice-Chairman, I wish to move my motion for reference of the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Bill, 1996 to a Select Committee. My motion is as follows: